संख्या-21-2025-2270-57-1099-30-2023

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 25 सितंबर, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन किये जाने हेतु धनराशि निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक धर्मार्थ कार्य निदेशालय के पत्र संख्या-559/ध0का0वि0नि0/अधि0 बजट/2025-26, दिनांक 11.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य विभाग के अनुदान संख्या-084 के अंतर्गत क्रमश: लेखा शीर्षक-2070, 2250 के विभिन्न मानक मदों में व्यवस्थित कुल धनराशि रू0 2897.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्गत धनराशि रू0 272.85037 लाख के निर्गतोपरांत अवशेष धनराशि रू0 2624.14963 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार नौ सौ तिरसठ मात्र) की निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित विस्तृत धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-8 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना सम्भव हो सके।

(3) आवंटन आदेश धर्मार्थ कार्य अनुभाग, उत्तपर प्रदेश शासन को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जाये। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समुचित कारण बताते हुये शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय सम्बन्धी स्थाई वित्तीय नियम तथा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही धनराशि का व्यय किया जाय और वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में प्रदत निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियों सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्षक '8782' में जमा कर वित्तस (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक-03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

(7) कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में 15 डिजिट कोड सहित लेखाशीर्षक, भारित और अनुदान संख्या का उल्लेख किया जायेगा।

(8) बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उत्ततर प्रदेश लखनऊ इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के अन्तर्गत रखा जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2070000010300 (धर्मार्थ कार्य निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	01 वेतन	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
2	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
3	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
4	084	2070000010300	11 लेखन सामग्री और फार्मों की	20,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		धर्मार्थ कार्य निदेशालय	छपाई	(रुपये बीस लाख मात्र)
5	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
6	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	42 अन्य व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
7	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
8	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
9	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,75,00,000 (रुपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**9,70,00,000 (रुपये नौ करोड़ सत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001010400 (कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	084	2250001010400 कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				(रुपये एक करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2250001010500 (कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन हेतु)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001010500 कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन हेतु	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,41,25,915 (रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र)
2	084	2250001010500 कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन हेतु	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**2,41,25,915 (रुपये दो करोड़ इकतालीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001010700 (ई डिस्ट्रिक योजनान्तर्गत इलेक्ट्रानिक डिलवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को इन्ट्रीग्रेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001010700 ई डिस्ट्रिक योजनान्तर्गत इलेक्ट्रानिक डिलवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को इन्ट्रीग्रेशन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6,03,622 (रुपये छह लाख तीन हजार छह सौ बाईस मात्र)
	कुल			**6,03,622 (रुपये छह लाख तीन**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				हजार छह सौ बाईस मात्र)

लेखाशीर्ष: 2250001010800 (बुजुर्ग पुजारियों एवं सन्तों तथा पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड का गठन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001010800 बुजुर्ग पुजारियों एवं सन्तों तथा पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड का गठन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001010900 (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001010900 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
2	084	2250001010900 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001011000 (श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001011000 श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
2	084	2250001011000 श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001011100 (ऑन लाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (आई.टी.आई.एस.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001011100 ऑन लाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (आई.टी.आई.एस.)	42 अन्य व्यय	54,85,426 (रुपये चौवन लाख पचासी हजार चार सौ छब्बीस मात्र)
	कुल			**54,85,426** **(रुपये चौवन लाख पचासी हजार चार सौ छब्बीस मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001011200 (प्रदेश के सिख समाज के पंच तख्त यात्रियों के लिये अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001011200 प्रदेश के सिख समाज के पंच तख्त यात्रियों के लिये अनुदान	42 अन्य व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001011300 (प्रदेश के निवासियों के लिये बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001011300 प्रदेश के निवासियों के लिये बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु अनुदान	42 अन्य व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000** **(रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001011400 (प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पौराणिक/धार्मिक मेलों का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001011400 प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पौराणिक/धार्मिक मेलों का आयोजन	42 अन्य व्यय	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			**5,00,00,000** **(रुपये पाँच करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001011500 (प्रदेश से जाने वाले सिन्धु दर्शन यात्रियों के लिये अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001011500	20	50,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रदेश से जाने वाले सिन्धु दर्शन यात्रियों के लिये अनुदान	सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	(रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001011600 (काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001011600 काशी विश्वनाथ धाम परिसर में निर्मित भवनों एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण कार्य	29 अनुरक्षण	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2250001020300 (विलीनीकृत रियासतों के धर्मार्थ संस्थाओं के पुजारियों को अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250001020300 विलीनीकृत रियासतों के धर्मार्थ संस्थाओं के पुजारियों को अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2250008000300 (कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के निवासी तीर्थयात्री की मत्यु की दशा में आश्रित को अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	084	2250008000300 कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के निवासी तीर्थयात्री की मत्यु की दशा में आश्रित को अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**1,00,000** **(रुपये एक लाख मात्र)**

महायोग	**26,24,14,963** **(रुपये छब्बीस करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार नौ सौ तिरेसठ मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-21-2025-2270-57-1099-30-2023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।